संख्या-67/2016/आर-936/26-3-2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनेत्तर पक्ष में 09-अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-479/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-16.03.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हेतु लेखाशीर्षक-"2225-02-796-09" हेतु धनराशि रूपया-14.78 लाख (रूपया चैदह लाख अठहत्तर हजार मात्र) को संलग्नक चार्ट (बी.एम.9) में उल्लिखित विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुये निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष ब्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें प्राप्त कर ब्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग होने के उपरान्त जो धनराशि बचेगी उसे नियमानुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में राजकोष में जमाकर दी जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का पुर्नविनियोजन एक योजना/मद से दूसरी योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजनाओं/मदों पर होने वाला ब्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-ब्ययक में अनुदान संख्या-81 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-09-अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय" के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1)) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 की अशासकीय संख्या-ई-3-520/दस-2016 दिनांक-30 मार्च 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या-67/2016/आर-936(1)/26-3-2016-तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1

4- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)

5- गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी०एम०-८ भाग-१

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (मदों बजट मैनुअल का प्रस्तर-१५०)

अनुदान संख्या-८१- समाज कल्याण (जनजाति विकास विभाग) आयोजनेत्तर

वित्तीय वर्ष 2015-16

(रू० हजार में)

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित स्थानान्तरण लेखाशीर्षक-15 डिजिटल कोड में (आयोजनागत/आयोजनेत्तर)	आवंटन पत्र तक दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवंटन पत्र तक दिनांक पर उपलब्ध बचत	स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्षमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्षमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन					
01-वेतन	550	550	50	50	500
03-महंगाई भत्ता	660	660	660	660	00
06-अन्य भत्ते	90	90	90	90	00
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3970	1985	450	450	3520
2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-06 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास					
01-वेतन	566	148	59	59	507
03-महंगाई भत्ता	679	187	69	69	610
06-अन्य भत्ते	67	50	50	50	17
29-अनुरक्षण	70	50	50	50	20
योग	6652	3700	1478	1478	5174

निम्नलिखित मदों में प्रस्तावित स्थानान्तरण लेखाशीर्षक-15 डिजिटल में (आयोजनेत्तर)	विनियोग पत्र के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में सम्भावित कुल व्यय	संक्षमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (8-9)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्षमण की धनराशि	संक्षमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय					
01-वेतन	14428	15906	1478	1478	15906
योग	14428	15906	1478	1478	15906

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नवत् है :-

क- [illegible]

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

क- [illegible]

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

[illegible]

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(उदय सिंह)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

संख्या-47/2016/(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- निदेशक, एन०आई०सी०योजना भवन, लखनऊ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।